राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2024 जयपुर, दिनांक 27मई, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(8)पंचा/रानिआ/2025/1755 दिनांक 19.05.2025 एवं पत्र कमांक प.4(2)(3)नपा/रानिआ/2024/1783 दिनांक 19.05.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप-चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगर निकाय सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के मतदान की तिथि 08.06.2025 (रविवार) घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि दिनांक 08.06.2025 (रविवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

27.5.25

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/दिल्ली, जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।

C:\2006\chouhan\elec.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

16. सम्बन्धित कोषाधिकारी राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नंम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन–302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, जयपुर।
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
28. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।

27.5.25

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

2/2

C:\2006\chauhan\elec.doc

परिशिष्ट–'अ'

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2025 तक के रिक्त पदों पर उपचुनाव माह मई–जून, 2025

उप चुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र. स.	नगरनिगम/नगरपरिषद/ नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	बांरा	1.	न.प. बारां	13
2.	धौलपुर	2.	न.प. धौलपुर	53
3.	हनुमानगढ	3.	न.पा. पीलीबंगा	अध्यक्ष
4.	झालावाड	4.	न.पा. झालरापाटन	13
		5.	न.पा. अकलेरा	05/अध्यक्ष
5.	जोधपुर	6.	न.पा. पीपाडशहर	30
6.	झुन्झुनू	7.	न.पा. विद्याविहार	11
7.	कोटपुतली–बहरोड	8.	न.पा. कोटपुतली	17
8.	कोटा	9.	न.पा. रामगंजमण्डी	27
9.	नागौर	10.	न.पा. कुचेरा	17
		11.	न.पा मेडता	उपाध्यक्ष
10.	सीकर	12	न.पा.लक्ष्मणगढ	09
11.	श्रीगंगानगर	13.	न.पा करणपुर	23
12	सलूम्बर	14.	न.प. सलूम्बर	14

E:\NAGAPALIKA\00 NP\Adhisuchna\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(3) NP SEC 2024_bye-election , 2024 -.doc
100

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2025 तक के रिक्त पदों पर उपचुनाव माह मई–जून, 2025
उप चुनाव कार्यक्रम

➤ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	21.05.2025 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	30.05.2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोडकर)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	31.05.2025 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08..06.2025 (रविवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मंतगणना की तिथि एवं समय	09.06.2025 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	10.06.2025 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	11.06.2025 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	12.06.2025 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	13.06.2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13.06.2025 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	16.06.2025 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	16.06.2025 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	17.06.2025 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

E:\NAGAPALIKA\00 NP\Adhisuchna\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(3) NP SEC 2024_bye-election , 2024 -.doc
101

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/ 1755 दिनांकः 19.05.2025

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई–जून, 2025 – चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 20.05.2025 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 08.06.2025 को होगा। चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

चुनाव कार्यक्रम की उक्त घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है, जिसकी पालना करवाना सुनिश्चित करवायें। आदर्श आचरण संहिता की प्रति संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1691 दिनांकः 16/5/2025

प्रैस–नोट

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.06.2024 से 31.12.2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख के 01, प्रधान के 02, उप प्रधान के 01, जिला परिषद सदस्य के 07, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 17, उपसरपंच के 15 एवं पंच के 169 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'A' पर उपलब्ध है। उक्त पदों हेतु उप चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

➢ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	20.05.2025 (मंगलवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (रविवार दिनांक 25.05.2025 को छोड़कर)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 11.00 बजे से
4.	नाम वापसी की तिथि एवं समय	28.05.2025 (बुधवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	28.05.2025 (बुधवार) **नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्**
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08.06.2025 (रविवार) प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
7.	**मतगणना** **1. जिला परिषद सदस्य – जिला मुख्यालय पर** **2. पंचायत समिति सदस्य – पंचायत समिति मुख्यालय पर**	09.06.2025 (सोमवार) प्रातः 9:00 बजे से

➢ जिलाप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान के लिए

1.	**जिला प्रमुख/प्रधान की मतदान तिथि**	**10.06.2025 (मंगलवार)**
2.	**उपप्रधान की मतदान तिथि**	**11.06.2025 (बुधवार)**
	चुनाव के लिए समय–सारणी	
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 3.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	20.05.2025 (मंगलवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	26.05.2025 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	27.05.2025 (मंगलवार) प्रातः 10.00 से
4.	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	27.05.2025 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	27.05.2025 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08.06.2025 (रविवार) प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
7.	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	08.06.2025 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ **उपसरपंच के लिए**

1.	उपसरपंच का चुनाव	09.06.2025 (सोमवार)
	चुनाव के लिए समय–सारणी	
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए **12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों** में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश,

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

- **आदर्श आचरण संहिता**

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।

संलग्न : परिशिष्ट–A

आज्ञा से,

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

क्रमांकः एफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1692-1699 दिनांकः 16/5/2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
5. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
8. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

परिशिष्ट –A

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक के रिक्त पदों का विवरण

			पंचायत समिति में		पंचायत सर्किल में			
कम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद, प्रमुख / उप–प्रमुख / सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत समिति का नाम	प्रधान / उप–प्रधान / पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत का नाम	सरपंच	उप सरपंच	पंच वार्ड संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर		अराई	6				
			सरवाड़		सुनारिया			1
			सावर		बाजटा			5
			सरवाड़		सदापुर			7
	योग	0		1		0	0	3
2.	ब्यावर		रायपुर		पाटन	सरपंच		
	योग	0		0		1	0	0
3.	अलवर		लक्ष्मणगढ़		सेहरा			7
			लक्ष्मणगढ़		बड़का			5
			लक्ष्मणगढ़		जावली			4
			मालाखेड़ा	16				
		29						
			थानागाजी		मुण्डावरा			15
	योग	1		1		0	0	4
4.	खैरथल–तिजारा		मुण्डावर		ततारपुर			8
			मुण्डावर		खरेटा			7
			मुण्डावर		सिहाली खुर्द			9
			कोटकासिम		कतोपुर			9
			कोटकासिम		जौडिया			4
	योग	0		0		0	0	5
5.	बांसवाड़ा		गांगडतलाई	10				
			घाटोल	1 / उपप्रधान				
	योग	0		2		0	0	0
6.	बारां		छिपाबड़ौद	6				
			अन्ता		खजूरना कलां			6
	योग	0		1		0	0	1
7.	बाड़मेर		बाड़मेर		राणीगांव			9
			बाड़मेर		रामदेरिया			1
			शिव		धारवी कलां			7
			सेड़वा		आलू का तला			6
			चौहटन		लीलसर			4
			चौहटन		सांवलोर			1

			चौहटन	-	पुरोणियों का तला			1
			चौहटन	25				
			धनाउ		धनाउ			1
			धनाउ		रबारार		उपसरपंच	5
	योग	0		1		0	1	9
8.	बालोतरा		कल्याणपुर	प्रधान / 10				
			पाटोदी		डउकियों की तला			1
			पाटोदी		डउकियों की तला			5
	योग	0		1		0	0	2
9.	डीग		डीग	9				
			नगर		आलमशाह			9
			कामां		नौनेरा			13
			कामां		ऐंचवाड़ा			1
	योग	0		1		0	0	3
10.	भीलवाड़ा		सुवाणा		कोदूकोटा	सरपंच		
	योग	0		0		1	0	0
11.	बीकानेर		लूणकरणसर		कालू			8
			लूणकरणसर		बडेरन			1
			लूणकरणसर		बडेरन			5
			लूणकरणसर		हंसेरा	सरपंच		
			कोलायत		माणेका गांव			1.
			कोलायत		रावनेरी			2
			कोलायत		चक बन्धा नं. 1 सांखला बस्ती			1
			कोलायत		चाण्डासर	सरपंच		
			पूगल		भुट्टों का कुंआ	सरपंच		
	योग	0		0		3	0	6
12.	चित्तौड़गढ़		डूंगला	14				
	योग	0		1		0	0	0
13.	चूरू		राजगढ़		ख्याली			6
			राजगढ़		मुन्दीताल			2
			राजगढ़		भगेला			11
			राजगढ़		चैनपुरा बड़ा			3
			चूरू		लाखाऊ		उपसरपंच	2
			चूरू		लाखाऊ			4
			चूरू		थैलासर			5
			चूरू.		सिरसाला			12
			रतनगढ़		दाऊदसर			6
			रतनगढ़		पड़िहारा			9
	योग	0		0		0	1	10
14.	दौसा		दौसा		सैंथल			10
			महवा		तालचिडी			11
			महवा		गढ़ हिम्मतसिंह			4
			सिकन्दरा		कैलाई		उपसरपंच	6

			सिकन्दरा		दुब्बी		उपसरपंच	3
			सिकराय		पीपलकी			3
			सिकराय		मानपुर			2
			सिकराय		करोड़ी		उपसरपंच	6
			सिकराय		गीजगढ			2
			लालसोट		मिर्जापुर			8
			लालसोट		लाडपुरा	सरपंच		
			लालसोट		पट्टी किशोरपुरा			8
			लवाण		डुगरावता			1
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			8
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			9
	योग	0		0		1	3	14
15.	धौलपुर		सैपऊ		मढाकांकोली			8
			बाड़ी		मत्सूरा		उपसरपंच	9
	योग	0		0		0	1	2
16.	डूंगरपुर	9						
		12						
			आसपुर	6				
	योग	2		1		0	0	0
17.	जयपुर		चाकसू		कादेड़ा			1
			जोबनेर		आसलपुर		उपसरपंच	14
			आंधी		बिरासना			7
			बस्सी		टहटड़ा		उपसरपंच	13
			जमवारामगढ़		राजपुरवास ताला	सरपंच		
			तूंगा	13				
			किशनगढ़ रेनवाल		बाघावास			9
			कोटखावदा		बल्लूपुरा	सरपंच		
			कोटखावदा		बल्लूपुरा		उपसरपंच	
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			1
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			2
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			3
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			4
			कोटखावदा		झापदाकला			2
			कोटखावदा		राडोली			10
			माधोराजपुरा		डिडावता		उपसरपंच	3
			सांभरलेक		शार्दुलपुरा		उपसरपंच	1
			दूदू		गैजी			9
			फागी	5				
			तूंगा		पालावाला जाटान	सरपंच		
			तूंगा		पालावाला जाटान		उपसरपंच	
			तूंगा		पालावाला जाटान			1
			तूंगा		पालावाला जाटान			2
			तूंगा		पालावाला जाटान			3

			तूंगा		पालावाला जाटान			4
			तूंगा		पालावाला जाटान			5
			तूंगा		पालावाला जाटान			6
			तूंगा		पालावाला जाटान			7
			तूंगा		किशनपुरा			5
			तूंगा		किशनपुरा			6
			तूंगा		किशनपुरा			7
	योग	0		2		3	6	24
18.	कोटपूतली–बहरोड़		नीमराणा		नंगली बलाहीर			5
			बानसूर		श्यामपुरा			1
			बानसूर		कल्याणपुरा			11
	योग	0		0		0	0	3
19.	जैसलमेर		जैसलमेर		झाबरा			1
			मोहनगढ़		मण्डाउ			4
			सम		छतांगढ़	सरपंच		
			सम		कनोई			2
			फतेहगढ़		फतेहगढ़	सरपंच		
			फतेहगढ़		मोढा			9
			नाचना		आसकन्द्रा			4
			सांकड़ा		सनावड़ा	सरपंच		
			सांकड़ा		भादरिया			3
	योग	0		0		3	0	6
20.	जालोर		बागोड़ा		नरसाणा			6
			बागोड़ा		जैसावास			11
			भीनमाल		पूनासा			9
			भीनमाल		दासपां			8
			जसवंतपुरा		बासड़ा धनजी			2
			जसवंतपुरा		सावीधर			1
			जसवंतपुरा		डोरडा			5
			चितलवाना		गुडा हेमा			9
			चितलवाना		केरिया			9
			चितलवाना		जानवी			2
			चितलवाना		खासरवी			8
			चितलवाना		झाब			1
			चितलवाना		आकोली			9
	योग	0		0		0	0	13
21.	झालावाड़	5						
	योग	1		0		0	0	0
22.	झुन्झुनू		मण्डावा		भीमसर			1
			सिंघाना		घरडाना कलां			4
			बुहाना		भालोठ			5
			मण्डावा	14				

			अलसीसर		टमकोर			2
			चिड़ावा		भुकाना			7
	योग	0		1		0	0	5
23.	जोधपुर		धवा	5				
			धवा		कालीजाल			2
			धवा		फींच			10
			लूणी		पालासनी			12
			पीपाड़–शहर		बोरून्दा			3
			भोपालगढ़		देवातड़ा			5
			मण्डोर		जाजीवाल खिचियान			1
			मण्डोर		नांदडी		उपसरपंच	35
			केरू		पालड़ी मांगलिया			6
			ओसियां		खारडा मेवासा			6
			ओसियां		पंडितजी की ढाणी			3
			बावड़ी		बोड़वी खुर्द			1
			मण्डोर		बुधनगर			5
	योग	0		1		0	1	12
24.	फलौदी		घंटियाली		नारायणपुरा		उपसरपंच	5
			घंटियाली		बूगंडी			2
			घंटियाली		जैसला	सरपंच		
			बाप		खीरवा			5
			बाप		जाम्बा			9
			बाप		हिण्डालगोल			1
			बापिणी		बापिणी खूर्द			3
			बापिणी		जाखण			6
			बापिणी		रायमलवाड़ा			5
			बापिणी		बेदू कलां	सरपंच		
			बापिणी		ईशरू			4
			देचू	2				
	योग	0		1		2	1	9
25.	करौली		हिण्डौन		मण्डावरा			12
			श्रीमहावरीजी	15				
			सपोटरा	15/प्रधान				
			टोडाभीम		गोरडा			4
	योग	0		2		0	0	2
26.	नागौर		डेगाना		आंतरोली कलां			6
			डेगाना		राजोद			7
			रियांबडी		पादूकलां			16
			रियांबडी		भंवाल			4
			भैरूंदा		निम्बड़ी कला			4
			भैरूंदा		नथावड़ा			4
			मेड़ता		डांगावास			14
			भैरूंदा		लाडपुरा			6
	योग	0		0		0	0	8

27.	डीडवाना–कुचामन		परबतसर		हुलढाणी			8
			परबतसर		चिताई			7
			परबतसर		झालरा			1
			डीडवाना		लोरोली कलां			1
			डीडवाना		मण्डाबासनी		उपसरपंच	5
	योग	0		0		0	1	5
28.	प्रतापगढ़		छोटीसादड़ी		धोलापानी			8
			धरियावद		देवला			5
			प्रतापगढ़		सिद्धपुरा			2
	योग	0		0		0	0	3
29.	राजसमन्द	1						
	योग	1		0		0	0	0
30.	सवाई माधोपुर		सवाई माधोपुर		आटूनकलां			2
	योग	0		0		0	0	1
31.	सीकर		धोद		जेरठी			2
			धोद		जेरठी			9
			धोद		सिंगरावट			9
			धोद		कांसली			11
			पिपराली		पलासरा			6
			पिपराली		दादिया			2
			दातारामगढ़		कुली			1
			फतेहपुर		अठवास			7
			फतेहपुर		अठवास			6
	योग	0		0		0	0	9
32.	सिरोही	18						
	योग	1		0		0	0	0
33.	श्रीगंगानगर		सूरतगढ़	13				
			सूरतगढ़		सिंगरासर			5
			सूरतगढ़		02 एसडी			6
		जिला प्रमुख						
			अनूपगढ़		15 ए बी	सरपंच		
		16						
	योग	1		1		1	0	2
34.	उदयपुर		गोगुन्दा		मादा			3
			गोगुन्दा		चाटियाखेडी			4
			कुराबड़		बम्बोरा			11
	योग	0		0		0	0	3
35.	सलूम्बर		जयसमन्द		पहाड़ी			3
			जयसमन्द		वीरपुरा			5
			जयसमन्द		वीरपुरा			3
			सेमारी		सेमारी	सरपंच		
			सराड़ा		खोड़ीमहुड़ी	सरपंच		
			सराड़ा		चावण्ड			5
			सराड़ा		सराडा			4
	योग	0		0		2	0	5
	जिला परिषद सदस्य 07 एवं जिला प्रमुख 01		प्रधान 02, उपप्रधान 01 एवं पंचायत समिति सदस्य 18			17	15	169

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर
2019

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये
आदर्श आचरण संहिता

(I) सामान्य आचरण –

1. किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।

2. **जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यकम, पूर्ववत छवि और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओ या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक कियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकत्ताओं के बारे में ऐसे आरोपों के आधार पर आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिनकी सत्यता साबित नहीं हुई है या तोड मरोड़कर कही गयी बातों पर आधारित है।**

3. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा चुनाव प्रचार के लिये किसी पूजा–स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना (Convassing) करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विच्छृंखल (Disorderly Conduct) आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, तथा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

5. दलों या उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवें तथा इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार (Right of peaceful and undisturbed home-life), का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रिया कलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों।

6. किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने समर्थको (Followers) को देनी चाहिये।

7. मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिये।

8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

(II) सभाएं –

1. दलों और उम्मीदवारों को चाहिये कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघ्न पैदा करना चाहिये। दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिये जहाँ पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्वारा लगाये गये पोस्टर भी नहीं हटाने चाहिये।

2. दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये सभा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जहाँ पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है, वहाँ कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं और यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई के साथ पालन करना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिये यथासमय संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

3. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये ताकि वे यातायात नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सके। यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिये।

4. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपनी किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड–स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिये अनुमति प्राप्त करना चाहे तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त समय पहले ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाऊड–स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाऊड–स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् भी लाऊड–स्पीकरों को ऊँची आवाज में कदापि नहीं बजायें।

5. किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिये कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करे। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

(III) जुलूस –

1. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेर बदल नहीं करना चाहिये।

2. जुलूस के आयोजकों को चाहिये कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दें, ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।

3. जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिये कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जावे तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। जुलूस के आयोजन के समय यातायात नियमों का भी पालन करना चाहिये। जुलूस की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये जिससे यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जूलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिये।

4. यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें कि जिससे जुलूसो में टकराव न हो एवं यातायात मे बाधा न पहुँचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना होगा।

5. दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके।

6. किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिये और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिये।

(IV) मतदान दिवस –

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

1. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

3. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियाँ सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

4. मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

5. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पावे।

6. यह सुनिशिचित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर टैंट नहीं लगाये जायें, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड न लगाई जाए।

7. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे साफ–साफ दिखाई देते रहें।

8. मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।

9. मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना (Convassing) नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।

10. वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें।

11. अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहाँ से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें।

12. मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।

(V) मतदान केन्द्र –

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(VI) पर्यवेक्षक –

राज्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

(VII) सत्ताधारी दल –

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से –

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन क्षेत्रो में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(6) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, अथवा

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधार शिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या

(ग) सडकों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधायें नहीं देंगे, आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(8) मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यो से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी – राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।